

FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) and (b). The Central Council of Health, consisting of the representatives of the State Governments/Union Territories, after careful consideration has recommended that unqualified medical practitioners who fulfil certain conditions may be allowed restricted practice. A proposal to enlist unqualified medical practitioners is accordingly under consideration in consultation with the State Governments.

(c) and (d). In view of the general opposition to the registration of unqualified medical practitioners, it is now proposed to enlist the unqualified medical practitioners separately in a list to be maintained by the Principal Medical Officers of the States and not on the register on which medical graduates are registered.

CORRECTION OF ANSWER TO USQ No. 1476 DT. 4-3-1970 RE: COLLECTION AND PRESERVATION OF MILITARY MATERIAL OF AZADHIND FAUJ

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIWAN RAM): It was stated in the answer given to parts (a) and (b) of Unstarred Question No. 1476 on the 4th March, 1970, that during 1944-45, several badges, epaulettes of various ranks in the I. N. A., arms and ammunition and magazines and pamphlets brought out by the Indian National Army were captured, and that these had been kept in the Historical Section of the Ministry of Defence.

It has now come to notice that although some badges and epaulettes of the INA, and copies of some magazines and pamphlets brought out by the I. N. A. are in the custody of the Historical Section, the arms and ammunition received from the I. N. A. are not in the possession of that Section. It has not been found possible at this late stage to ascertain the ultimate disposal of the arms and ammunition.

The arms and ammunition used by the INA were similar to the ones used by the Japanese Army. These arms and ammunition were issued to the various messes and units as trophies in accordance with the policy at the time.

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED CLOSURE OF CLEARING HOUSES OF BANKS IN BIHAR RESULTING IN INDUSTRIES AND TRADE COMING TO A STANDSTILL

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अविलम्बनीय ढांक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक बक्तव्य दें:—

“बिहार में बैंकों के समाशोधन केन्द्रों (क्लियरिंग हाउस) के बन्द हो जाने और उस के फलस्वरूप वहाँ उद्योग-धंधे और कारोबार ठप्प हो जाने के समाचार।”

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN): Mr. Speaker, Sir, Work in the clearing house in Patna came to be suspended from the last week of August 1970. This was on account of the employees of most of the banks in Patna refusing to accept the instruments of the, State Bank of India, which had suspended four of its employees for alleged acts of indiscipline. The clearing work at some other places in Bihar was also affected. The suspension of clearing work put the trade and Commerce in Bihar and considerable inconvenience.

The Assistant Commissioner of Labour (Central), Patna, mediated in the matter but did not succeed in his efforts.

The State Bank of India, after consulting recognised union, has reviewed the position and withdrawn orders of

suspension on the four employees. Normal working in the clearing houses is also expected to be resumed immediately.

I appeal to the Hon'ble House to extend its co-operation in strengthening the atmosphere of goodwill and understanding created in the wake of the latest developments, so that full banking facilities are available to the people and particularly trade and commerce in Bihar as early as possible.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, लगभग पांच महीनों के बाद जिम तरीके से स्थिति का निराकरण होना जा रहा है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद तो ज़रूर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं दो तीन मिनट में इस समस्या की तरफ़ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।

अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि पुराने बिहार बैंक के कर्मचारियों के द्वारा, जो स्टेट बैंक में शामिल हो गये हैं, अनुशासनहीनता की वजह से स्थिति गड़बड़ हुई, उनके खिलाफ़ कार्यवाही की गई और कुछ कर्मचारियों का मुअ्तिल किया गया। बात ऐसी नहीं है। असल में ट्रेड यूनियन राइट्स, अधिकारों, की रक्षा के सिलसिले में ही यह झगड़ा उत्पन्न हुआ। 30 जून से यह झगड़ा चल रहा है। उस के बाद जब नौकरशाह अफ़सरों ने निरंकुश तरीके से काम लेना शुरू किया, वे समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो 28 अगस्त से पटना और अन्य नगरों में क्लियरिंग हाउसिज़ का काम ठप्प होना शुरू हो गया। गया, रांची जमशेदपुर, झरिया धनबाद, भागलपुर, मुजफ़्फ़रपुर और पटना आदि तमाम नगरों में बैंकों के क्लियरिंग हाउससिज़ का काम बन्द हो गया। बिहार बैंक एम्पलाईज़ एसोसियेशन और प्राल- इंडिया बैंक एम्पलाईज़ एसोसियेशन ने लगातार समझौते को कोशिश की। मैंने भी यहां मंत्री महोदय से बात की और वहां बैंक के एजेंट वगैरह अधिकारियों से बात की कि मामूली बात के लिए, ट्रेड यूनियन राइट्स के लिए चार बैंक एम्पलाईज़ को जो सज़ा दी जा रही है, वह उचित नहीं है; इससे सम्पूर्ण

बिहार की जनता को असुविधा में नहीं डालना चाहिए और बिहार में कारोबार ठप्प नहीं होने देना चाहिए। इन सब प्रयासों के बावजूद स्थिति का निराकरण नहीं हुआ। बिहार चेम्बर आफ़ कामर्स और छोटा नागपुर चेम्बर आफ़ कामर्स आदि ने अख़बारों के ज़रिये और मंत्रियों को चिट्ठियां लिख कर और तार दे कर सरकार का ध्यान स्थिति की भयानकता की तरफ़ खींचा। मैं केवल छोटा नागपुर चेम्बर आफ़ कामर्स के एक तार का जिक्र करना चाहता हूँ, जो उसने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्ट्रों को भेजा। उस में कहा गया :

"Trade and commerce paralysed due to closure of clearing houses in Bihar. Huge consignments of goods, lying with Railways uncleared. Shortage of consumer goods and public difficulty mounting. Request immediate intervention for restoration of normal banking services"

इस तार से सदन को स्थिति की भयानकता की पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। यह ख़ुशी की बात है कि आज से इस स्थिति का अन्त होने जा रहा है, जो कारोबार ठप्प पड़ा हुआ है, वह अब चालू होगा और बैंक एम्पलाईज़ के जिन नेताओं का मुअ्तिल किया गया था, उनको बिना-शर्त काम पर लिया जा रहा है।

जो चार एम्पलाईज़ चार पांच महीनों से मुअ्तिल हैं, उनको पूरी तन्ख़्वाह नहीं मिल रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह ऐलान करेगी कि उन्हें इस तमाम अवधि की पूरी तन्ख़्वाह दी जायेगी।

वहां इस समय तीन स्केल चल रहे हैं। एक स्केल स्टेट बैंक एम्पलाईज़ का है। दूसरा स्केल इंडियन बैंकर्स एसोसियेशन और आल-इंडिया बैंक एम्पलाईज़ एसोसियेशन के बीच अक्टूबर में हुए बाई-पार्टाइट एग्रीमेंट के मुताबिक़ बाकी बैंकों के कर्मचारियों को मिल रहा है और तीसरा बेतनमान बिहार बैंक एम्पलाईज़ का है, जो स्टेट बैंक में शामिल हो गये हैं। मैं यह जानना

[श्री रामावतार शास्त्री]

चाहता हूँ कि क्या सरकार आज की स्थितियों को देखते हुए उन्हें स्टेट बैंक के कर्मचारियों के बेतनमान देने के लिए तैयार है या बाई-पार्टाइट एग्रीमेंट के अन्तर्गत तय किये गये बेतनमान ।

जब सरकार के अफसर बिल्कुल निरंकुश बन जाते हैं, तब इस तरह की गड़बड़ी होती है और जनता को नुकसान होता है । आगे वे इस तरह का बिहेवियर न अपनानें और जिम्मेदारी के साथ वाजिबी व्यवहार करें, इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है, ताकि बिहार या किसी अन्य स्टेट में ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न न हो ।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय ने जिस तरीके से बातें बताई हैं, उसी गुड़ फेथ और अच्छे दिल से वह इन प्रश्नों का भी जवाब देंगे ।

SHRI Y. B. CHAVAN : He asked some question at the end, but his first statement was a long one. I do not want to say anything about it. Possibly he is satisfied with my statement but he wants to be on record. I am glad he is.

He is trying to raise some other demands about the merits of which I cannot say anything.

As far as the payment for suspension period is concerned, I am sure as the suspension is withdrawn the bank will consider the matter on merits.

As far as future action is concerned, he has made some suggestions which I will certainly consider. But I would also like to make a counter-suggestion to the hon. Member and his colleagues that they should also see that troubles do not constantly arise in the working of banks. Particularly there should be good relations between the Unions which are minority unions and those which are recognised. If they also show some understanding in this matter, most of the trouble will not be there. (Interruptions). I am certainly prepared to play my part but much depends on the Union leaders also.

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : मैं जानना चाहूंगा आपने समाजवाद का लक्ष्य रखा है लेकिन हमारे जो बैंक हैं उन के कस्टोडियन्स और उच्च अफसर लोग जो हैं उनका नौकर-शाहाना रुख है जिससे उनके और उनके नीचे काम करने वाले एम्प्लोईज के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहते हैं । उनकी सही मांगों को भी वह कबूल नहीं करते हैं । दूसरी तरफ आम जनता के साथ भी वह बुरा व्यवहार करते हैं । जैसा कि मांतीहारी, जिला चम्पारन में मैं खुद जानता हूँ कि वहां के स्टेट बैंक के एजेंट जा हैं उन्होंने लोगों से घूस मांगा है । इस तरह की चीजों के चलते हुए जनता को बहुत कठिनाइयां हैं । तो क्या सरकार इससे सजग है ? क्या सरकार को इस की जानकारी है ? अगर जानकारी है तो क्या आप ऐसे अफसरों का बदलेंगे और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और कौन सी कार्यवाही आप करने जा रहे हैं ?

SHRI Y. B. CHAVAN : He says, there should be good relationship between the management and the staff officers and the lower staff. It is an indisputable proposition. I entirely agree with it.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I take this opportunity congratulate both the hon. Minister and the representative of the Bank Employees Association for arriving a negotiated settlement. Is it a fact that these employees of the erstwhile Bank of Bihar were getting particular scales of pay under the Bipartite Agreement ? I would like to know whether after the merger of the Bank of Bihar with the State Bank they will not stand to lose anything, but rather, they would gain something, out of the merger.

SHRI Y. B. CHAVAN : I don't have the details now on these matters but these are all matters which are sorted out between the Management and the Unions concerned.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री की इस घोषणा से कि जो चार

कर्मचारी मुभ्रत्तिल किए गए थे वह मुभ्रत्तली रद्द हो गई और क्लिअरिंग हाउस का काम अब साधारण स्थिति में आजायगा, उनकी इस घोषणा से इस ध्यानाकर्षण मोशन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। हम वित्त मंत्री की इस अपील का भी स्वागत करते हैं कि यूनियन अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के बीच पारस्परिक सहयोग भी हो ताकि बैंकिंग सर्विस जनता को अधिक से अधिक मिल सके। हम उनकी इस अपील का स्वागत करते हैं और उनको बतलाना चाहते हैं कि हम लोगों ने हमेशा इस बात की कोशिश की है और इस झगड़े के सिलसिले में भी कोशिश की है। अब झगड़ा खत्म हो गया इसलिए हम झगड़े की बात यहां पर नहीं लाना चाहते। लेकिन एक स्टेज पर हमने बैंक अधिकारियों से और यूनियन अधिकारियों से हम ने यहां तक कहा था कि आप इस मामले का केन्द्रीय सरकार के दो मंत्रियों के ऊपर छोड़ दीजिए, मगर आपके बैंक अधिकारियों ने इस को मानने से इनकार कर दिया। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों का दृष्टिकोण हमेशा रचनात्मक रहा है ताकि बैंकिंग सेवा का अधिक उपयोग जनता को मिल सके। मंत्री महोदय ने यह भी एक अपील की है कि आइन्दा ऐसी चीज न हो तो इस सिलसिले में हम दो बात आप से पूछना चाहते हैं। एक तो यह कि जब बिहार बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया से अमलगमेंट हुआ तो अमलगमेशन के जो टर्म्स आफ एग्रीमेंट थे क्या वित्त मंत्री महोदय यह आश्वासन देगे कि वह अपने अधिकारियों को आदेश देगे, अपने अधिकारियों को नियंत्रण करेगे ताकि वह इस टर्म्स आफ एग्रीमेंट का पालन करें अगर उसका पालन होगा तो भविष्य में इस तरह के झगड़े नहीं होंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्लिअरिंग हाउस के काम बन्द हो जाने से बिहार में बड़ी ही कठिनाइयां हो रही है और उस वक्त कठिनाइयां हो रहीं हैं जब कि बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स के डिपोजिट

होते हैं उसका सिर्फ 25 प्रतिशत बिहार के लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। ऐसी हालत में अभी जो क्लिअरिंग हाउस बन्द हो गए उससे और भी कठिनाइयां बढ़ीं। तो क्या वित्त मंत्री इस विशेष कठिनाई को दूर करने के लिए कोई विशेष कदम ऋण सुविधा के सिलसिले में बिहार के लिए उठाएंगे ?

SHRI Y. B. CHAVAN : As far as the inconvenience to industries and trade is concerned, it is certainly a matter of regret for all of us. Therefore, I had discussed this matter with the hon. Member when he had come to me. I had told him that we were making all efforts, and I can assure the hon. Member that personally I was personally taking keen interest in this matter. But in the light of experience, we have learnt that however complicated the questions may be they are capable of solution by understanding each other and trying to find ways in a constructive manner.

I would, therefore, request the hon. Member that to avoid such things in future, instead of straightway resorting to a sort of extreme action, some time must be allowed for such efforts, and if ultimately those efforts fail, then, certainly, a trade union can go its own way which is permissible under the trade union Act itself. We are quite aware of this situation, and I am therefore keen to see that such situation do not arise again, and for that purpose I am trying to remain in touch with the All-India leadership of trade unions in banking.

12.16 hrs.

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : I had given notice of an adjournment motion on the murder by the police of 11 young men in Calcutta. But you have rejected it. ** We want the adjournment motion to be admitted. 11 young boys have been shot dead by the police.